फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत........सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक............मुकाम....................भादरा..............................

....ओमप्रकाश आदि....बनाम.. जगदीश प्रसाद आदि ....

किस्म मुकदमा............212 आरटीएक्ट ....न० ..63 / 21 सन्............ 2021...............................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
14.07.2021	प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का अधिवक्ता कपूरचंद शर्मा के द्वारा पेश किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस पर मनन करने एवं रिकार्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे वादाधीन रकबा तहसील भादरा के वाके रोही मोजा मुन्दडिया छोटा के खाता सं0 36/2 के खसरा सं0 85 की 2.744है0, खसरा सं0 87 की 5.256है0 कुल 8.7000है0 बारानी खातेदारी वादभूमि में अप्रार्थीगण कोई भी निर्माण कार्य ना करें व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इस संबंध में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई उज्र एवं ऐतराज हो तो न्यायालय में असालतन एवं वकालतन दिनांक 18.08.2021 को उपस्थित आकर वजह जाहिर करें अन्यथा क्यों ना ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म कर दी जावे। वकील प्रार्थी अप्रार्थीगण की तलबी रजिस्टर्ड एडी से करवाकर रसीदे न्यायालय में 03 दिवस में पेश करें, अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। पत्रावली दिनांक 18.08.2021 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)भादरा	
18/8/21	पत्रावली पेश हुई [illegible] [illegible] उपरोक्त पत्रावली में 1 ता 3, 5-6 [illegible] [illegible] राजेन्द्र [illegible] पत्रावली वास्ते जवाब व शेष तलबी दिनांक 14.9.21 को पेश हो। [signature]	
29-11-21	पत्रावली वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर [illegible] प्रशासन गांव के संग अभियान [illegible] के पेशी पर [illegible] मूल वाद का निस्तारण होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आगे चलाने को कोई	[illegible]

औचित्य नहीं है अतः दिनांक 15-7-21 को जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाकर प्रा०प० इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है। पत्रा० नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा